पत्रांक– 6पं०/रा० वि०आ०-4/2017/2746/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी उप विकास आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 11.05.2020

विषयः कोरोना महामारी के प्रबंधन हेतु पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि के उपयोग के संबंध में।

प्रसंग–पत्रांक–19/गो0, दिनांक–01.04.2020

महाशय,

कोरोना महामारी के प्रबंधन हेतु पंचम राज्य वित्त आयोग की राशि के उपयोग के संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की निरंतरता में ग्राम पंचायतों द्वारा निम्नवत् अतिरिक्त कार्रवाई की जाय ।

(i) हर परिवार को अधिकतम 20 रुपए तक की लागत का साबुन उपलब्ध कराया जाय।

(ii) हर परिवार को 04 मास्क उपलब्ध कराये जाएँ। प्रत्येक मास्क की कीमत 20 रुपए से अधिक नहीं होगी।

(iii) इस प्रकार इन दोनों सामग्रियों यथा– साबुन एवं मास्क हेतु अधिकतम 100 रु0 प्रति परिवार की दर से पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि से व्यय किया जाय।

(iv) साबुन एवं मास्क का वितरण संबंधित वार्ड सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा। वे इस हेतु वितरण पंजी का संधारण सुनिश्चित करेंगे।

(v) ग्राम पंचायतें साबुन का क्रय स्थानीय बाजार से करेंगी।

(vi) ग्राम पंचायतें मास्क का क्रय सर्वप्रथम जीविका संगठनों/खादी भंडारों से करेंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सके। यदि जीविका

संगठनों/खादी भंडारों द्वारा आवश्यक मात्रा में मास्क उपलब्ध नहीं कराया जा सके तो वैसी स्थिति में ग्राम पंचायतें, स्थानीय स्तर पर कपड़े का मास्क तैयार करवायेंगी ।

2. साबुन एवं मास्क के वितरण में पूर्ण खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाय तथा हर परिवार को इससे आच्छादित किया जाय।

3. राज्य सरकार के इस निर्णय की सर्व साधारण को स्पष्ट जानकारी हो सके, इस हेतु संलग्न आम सूचना का लाउडस्पीकर के माध्यम से व्यापक प्रचार कराया जाय। ग्राम पंचायतों द्वारा इस आम सूचना का प्रचार 03 दिनों तक करवाना सुनिश्चित करें।

4. सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार के इस निर्णय के अनुपालन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे एवं पंचायती राज विभाग को दैनिक प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

11.5.20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 2746 पटना, दिनांक– 11.05.2020

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11.5.20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 2746 पटना, दिनांक– 11.05.2020

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

11.5.20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साबुन तथा 04 मास्क उपलब्ध कराये जाएँगे।

साबुन एवं मास्क का वितरण ग्राम पंचायतों के माध्यम से संबंधित वार्ड सदस्यों द्वारा किया जाएगा। वार्ड सदस्य द्वारा वितरण पंजी संधारित की जाएगी। वे सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन सुनिश्चित करावेंगे।

सभी नागरिकों से अपील है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें। अपने परिवार एवं गाँव के हर नागरिक को मास्क का उपयोग करने हेतु प्रेरित करें ।